

न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)
(समक्ष- सतीश कुमार गुप्ता)

आप0 पुन0 याचिका क्र.-11/18

प्रस्तुति दिनांक-23/03/2018

1. सुरेश सिंह पुत्र रूकम सिंह आयु 45 वर्ष
2. विनोद सिंह पुत्र रूकम सिंह आयु 43 वर्ष
3. छोटे उर्फ बलवीर पुत्र रूकम सिंह आयु 40 वर्ष
4. बीरेंद्र सिंह पुत्र रूकम सिंह आयु 35 वर्ष
5. राघवेंद्र सिंह पुत्र रूकम सिंह आयु 32 वर्ष
6. जितेंद्र सिंह पुत्र रूकम सिंह आयु 30 वर्ष
7. मोहित पुत्र केशव सिंह आयु 28 वर्ष
8. अशोक पुत्र रणवीर सिंह आयु 28 वर्ष
9. अनिल पुत्र सुरेश सिंह आयु 18 वर्ष

उक्त सभी जाति पवैया ठाकुर निवासीगण ग्राम
खनैता, तहसील गोहद जिला भिण्ड, (म0प्र0)

-----निगरानीकर्तागण

// विरुद्ध //

1. पुलिस थाना एण्डोरी तहसील गोहद जिला भिण्ड
(म0प्र0)

-----प्रतिनिगरानीकर्तागण

सभी निगरानीकर्तागण की ओर से श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता।

प्रति निगरानीकर्ता की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।

आदेश**(आज दिनांक 27.03.2018 को पारित)**

- 01.** सभी निगरानीकर्तागण की ओर से यह दायिक पुनरीक्षण याचिका, न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 के द्वारा प्रकरण क्रमांक 24/18 मु0फौ0 (शासन पुलिस थाना एण्डोरी विरुद्ध जयंत सिंह आदि) में दिनांक 12.02.2018 को धारा 107/116 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत सभी निगरानीकर्तागण के विरुद्ध 25,000—25,000/— रुपये नगद धनराशि जमा कराये जाने के संबंध में पारित आदेश से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है।
- 02.** सभी निगरानीकर्तागण की ओर से प्रस्तुत याचिका संक्षेप में इस प्रकार है कि पुलिस थाना एण्डोरी के द्वारा एक इशतगासा क्रमांक 51/18 अंतर्गत धारा 107, 116 दं0प्र0सं0, न्यायालय तहसीलदार व कार्यपालक दण्डाधिकारी गोहद के समक्ष सभी निगरानीकर्तागण को अनावेदक क्रमांक 2 के रूप में समायोजित करते हुये उनके विरुद्ध शांति भंग होने की संभावना बताते हुये प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज प्रकरण क्रमांक 24/2018 धारा 107/116 मु0फौ0 के अंतर्गत दिनांक 12.02.2018 को उक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा कोई साक्ष्य अभिलिखित किये बिना मनमाने ढंग से विधि विधान के विपरीत सभी निगरानीकर्तागण के विरुद्ध नगद 25—25 हजार रुपये जमा कराये जाने के संबंध में आदेश पारित किया गया है, जो कि अवैधानिक होकर निरस्तीय योग्य है। अतः निगरानी प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त संबंध में पारित आदेश को निरस्त करने करने की प्रार्थना की गयी है।
- 03.** प्रतिनिगरानीकर्ता की ओर से अपर लोक अभियोजक ने आलोच्य आदेश को विधि सम्मत ढंग से पारित किया जाना बताते हुये निगरानी याचिका सारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।
- 04.** सभी निगरानीकर्तागण की ओर से श्री विजय श्रीवास्तव एवं प्रतिनिगरानीकर्ता की ओर से अपर लोक अभियोजक के तर्क श्रवण किये गये एवं

अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 24/18 धारा 107/116 मु0फौ0 शासन पुलिस एण्डोरी विरुद्ध जगत सिंह आदि के संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया गया।

05. प्रकरण के निराकरण के लिये विचारणीय प्रश्न निम्न है:-

01.	क्या अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 द्वारा प्र0क्र0 24/18 धारा 107/116 मु0फौ0 (शासन पुलिस एण्डोरी विरुद्ध जगत सिंह आदि) में दिनांक 12.02.2018 को धारा 107/116 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत निगरानीकर्तागण के विरुद्ध 25,000-25,000/- रुपये नगद धनराशि जमा कराये जाने के संबंध में आदेश पारित किये जाने में विधि एवं तथ्य संबंधी ऐसी गंभीर त्रुटि की है, जो शुद्धता, वैधता, औचित्यता एवं अधिकारिता के आधार पर पुनरीक्षण शक्तियों के अधीन हस्तक्षेप योग्य है ?
-----	--

।। सकारण निष्कर्ष ।।

06. पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक जोर दिया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा कोई साक्ष्य अभिलिखित किये बिना मनमाने ढंग से विधि विधान के विपरीत सभी निगरानीकर्तागण के विरुद्ध नगद 25-25 हजार रुपये जमा कराये जाने के संबंध में आदेश पारित किया गया है, जो कदापि स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है, जबकि प्रतिनिगरानीकर्ता की ओर से अपर लोक अभियोजक ने आलोच्य आदेश को विधि सम्मत ढंग से पारित किया जाना बताते हुये निगरानी याचिका सारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

07. उक्त संबंध में उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुये इस निगरानी

प्रकरण सहित योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 के प्र0क्र0 24/18 धारा 107/116 मु0फौ0 (शासन पुलिस एण्डोरी विरुद्ध जगत सिंह आदि) के संपूर्ण अभिलेख का परिशीलन करने पर यह पाया जाता है कि दिनांक 12.02.18 को पुलिस थाना एण्डोरी के द्वारा धारा 107, 116 (3) दं0प्र0सं0 के अंतर्गत शांति भंग होने की संभावना को दर्शाते हुये निगरानीकर्तागण के विरुद्ध इस्तगासा क्रमांक 51/18 प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी गोहद द्वारा दर्ज प्र0क्र0 24/18 धारा 107/116 मु0फौ0 में निगरानीकर्तागण के विरुद्ध जमानत एवं बंधपत्र के साथ-साथ 25-25 हजार रुपये नगद जमा कराये जाने के संबंध में आदेश दिये गये हैं तथा बाद में दिनांक 08.03.18 को उक्त प्रकरण में निगरानीकर्तागण की ओर से कथित धन राशि जमा न होने पर निगरानीकर्तागण के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किये जाने बावत् आदेश प्रचलित किये गये हैं।

08. आलोच्य आदेश दिनांक 12.02.18 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि निगरानीकर्तागण को जमानत व बंधपत्र के अतिरिक्त कथित 25-25 हजार रुपये की नगद धनराशि जमा कराये जाने के संबंध में योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने के पूर्व कोई भी सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है और न ही उक्त संबंध में कोई संक्षिप्त जांच की गई है और उक्त आदेश में इस संबंध में भी कुछ लेख नहीं किया गया है कि प्रश्नगत आदेश पारित किये जाने के समय आपात परिस्थितियां अर्थात् अति आवश्यक परिस्थितियां मौजूद थीं तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने सम्माननीय न्यायदृष्टांत अशोक कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य 2013 (2) एम0पी0एच0टी0 362 (सु0को0) में यह भली भांति सुस्थापित किया जा चुका है कि "आपात स्थिति एवं मात्र शांति भंग होने की स्थिति में अंतर है। मात्र शांति भंग होने के प्रकरण को आपात स्थिति के प्रकरण से भिन्न समझा जाना चाहिये।"

09. अतः योग्य अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश जहां एक ओर प्राकृतिक

न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होना पाया जाता है, वहीं दूसरी ओर उक्त आदेश में निगरानीकर्तागण की ओर से नगद 25-25 हजार रुपये राशि जमा कराये जाने के संबंध में कोई विधि मान्य आधार भी दर्शित नहीं किये गये हैं, बल्कि उक्त आदेश धारा 107 दं0प्र0सं0 में उपबंधित विधिक प्रावधानों के अनुरूप होना भी कदापि नहीं पाया जाता है, क्योंकि उक्त धारा में इस आशय के स्पष्ट विधिक प्रावधान उपबंधित किये गये हैं कि—

“जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तिला मिलती है कि संभाव्य है कि कोई व्यक्ति परिशांति भंग करेगा या लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा या कोई ऐसा सदोष कार्य करेगा जिससे सम्भाव्यतः परिशांति भंग हो जायेगी या लोक प्रशांति विक्षुब्ध हो जायेगी तब यदि उसकी राय में कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त आधार है तो वह, ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि एक वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिये, जितनी मजिस्ट्रेट नियत करना ठीक समझे, परिशांति कायम रखने के लिये उसे प्रतिभुओं सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करने के लिये आदेश क्यों न दिया जाये।

10. परिणामतः उपरोक्त निष्कर्षित एवं विश्लेषित परिस्थितियों के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने नगद धन राशि जमा कराये जाने के संबंध में आलोच्य आदेश पारित करने में वैधता एवं औचित्यता के संबंध में ऐसी त्रुटि की है, जो कि पुनरीक्षणाधीन शक्तियों के अधीन हस्तक्षेप योग्य है और नगद धन राशि जमा कराये जाने की सीमा तक ऐसा आदेश कदापि स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

11. परिणामतः पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से प्रस्तुत यह पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 के द्वारा प्रकरण क्रमांक 24/18 मु0फौ0 (शासन पुलिस थाना एण्डौरी विरुद्ध जयंत सिंह आदि) में दिनांक 12.02.2018 को धारा 107/116 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत सभी निगरानीकर्तागण के विरुद्ध 25,000-25,000/- रुपये नगद धनराशि जमा कराये जाने के संबंध में पारित आदेश को एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है।

12. आदेश की प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख अविलंब लौटाया जाये।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
व दिनांकित कर पारित किया गया

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(सतीश कुमार गुप्ता)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(सतीश कुमार गुप्ता)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)